भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 917

उत्तर देने की तारीख 6 फरवरी, 2020

17 माघ, 1941 (शक)

किशोर अपराधियों का पुनर्वास

917.श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किशोर अपराधियों के पुनर्वास और समाज में उनके एकीकरण हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसे बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु कोई उपाय किया है और सामाजिक व्यवस्था के प्रति उनमें मूल्य और विश्वास भरने हेतु सुधारात्मक उपाय किए हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किशोर अपराधियों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है। तथापि, अपनी विभिन्न एजेंसियों और कार्यक्रमों के माध्यम से मंत्रालय स्वयंसेविता की भावना, खेल भावना विकसित करने तथा युवाओं के चरित्र निर्माण में सहायता करता है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 कार्यान्वित कर रही है और यह अधिनियम विधि का उल्लंघन करने वाले बालक (सीसीएल) तथा देखरेख और सुरक्षा के जरूरतमंद बालकों के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक बालक की परिभाषा अठारह वर्ष से कम आयु के बालक के रूप में की गई है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सरकारों का है। किशोर न्याय अधिनियम में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक (सीसीएल) सहित कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (13) के अनुसार 'विधि का उल्लंघन करने वाले बालक (सीसीएल)'' से अभिप्राय उस बालक से है जिसने अभिकथित रूप से कोई अपराध किया है या अपराध करते हुए पाया गया है तथा जिसकी आयु अपराध करने की तारीख को अठारह वर्ष की नहीं हुई है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में ऐसे बच्चों का कल्याण और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं और संरचनाओं का एक नेटवर्क स्थापित करने का प्रावधान है जिनमें किशोर न्याय बोर्ड,

विशेष किशोर पुलिस यूनिट, राज्य और जिला बाल संरक्षण यूनिट, विभिन्न प्रकार के गृह और गोद लेने, देखभाल तथा प्रायोजन के माध्यम से गैर-संस्थागत देखरेख शामिल है। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों का उद्देश्य विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को मुख्य धारा से जोड़ना और अवयस्कों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में कमी लाना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों सहित कठिन परिस्थितियों वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात ''बाल संरक्षण सेवाएं''(सीपीएस) कार्यान्वित कर रहा है। बाल संरक्षण सेवाएं के तहत संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख के माध्यम से विभिन्न पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल देखरेख संस्थानों की स्थापना और रखरखाव हेतु विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों सहित कठिन परिस्थितियों में बच्चों का स्थितिजन्य विश्लेषण करने के लिए राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आदर्श नियम, 2016 में अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक अवसंरचना, पहनावा, बिस्तर, पोषण और खुराक तथा अन्य पुनर्वास उपायों यथा शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, काउंसिलिंग आदि के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

****